न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 51/2023 **तारीख दायरा:–17.08.2023**

देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र जाति वैश्य निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

————वादी

बनाम

1. मुकेश चंद पुत्र मनोहरी जाति खाती निवासी पैंडका रोड कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।
2. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।

——————असल प्रतिवादीगण

3. गोपाल प्रसाद पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र
4. विष्णु कुमार पुत्र राजेन्द्र
   जातियान वैश्य निवासीयान कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

——————फौरमल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री ललित अवस्थी वादी।
2. अधिवक्ता श्री दिनेश चंद गुप्ता प्रतिवादी संख्या 01
3. अधिवक्ता श्री मंगलराम प्रतिवादी संख्या 04

निर्णय **दिनांकः–01.04.2025**

वादी द्वारा यह वाद इस न्यायालय मे इस आशय का संस्थित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 30/1.06 बाके ग्राम ढण्डाका तहसील नगर मे स्थित है, जिसमे वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण तथा असल प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4–1/4 हिस्सा है, जिसके बाबत न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक वाद पत्र संख्या 44/2021 उनवानी देवेन्द्र कुमार बनाम गोपाल प्रसाद बगै0 का दिनांक 06.07.2023 को मुताविक कुर्रे रिपोर्ट डिक्री किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित खसरा नं0 मे से तरफ पूर्व 30/1/0.2650 तथा उसके सटैवा वादी को 30/2/0.2650 हिस्सा दिया गया है। जिसका मौके पर हिस्से अनुसार पैमाईश होना शेष है, जिसका नाजायज लाभ उठाकर असल प्रतिवादी संख्या 1 ने मौके पर सीमा ज्ञान से पूर्व ही अपने हिस्से से अधिक मे नींव खोदकर वादी के हिस्से की जमीन पर निर्माण करने के लिये मौके पर निर्माण सामग्री डाल दी है तथा दिनांक 16.08.2023 को मौके पर नींव खोदने पर मना करने पर धमकी दी है कि वह जबरन लठठ व ताकत के वल पर अपने हिस्से से अधिक वादी की जमीन को मिलाते हुए पुख्ता निर्माण करके रहेगा तथा वादी को आराजी से बेदखल करके रहेगा। अगर असल प्रतिवादी संख्या 01 अपनी धमकी व इरादे मे कामयाव हो गया तो वादी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती जर्रे नकद अथवा अन्य किसी प्रकार से संभव नही सकेगी। अत वादी वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वह आराजी खसरा नं0 30/1.06 बाके ढण्डाका तहसील नगर पर वादी के शांतीपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार का अवरोध नही करे, वादी को उसके कब्जे काश्त से वेदखल ना करे तथा जोतने वोने से ना रोके, सीमाज्ञान होने तथा राजस्व रिकॉर्ड मे

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

जाति-वैश्य, निवासी-कस्बा नगर

तरमीम होने तक रहन वय मुतंकिल नही करे एंव ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे और अन्य ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे वादी के अधिकारो पर कोई विपरीत प्रभाव पडे।

प्रतिवादी संख्या 01 ने हाजिर न्यायालय आकर इस आशय का जवाब दावा पेश किया है कि वादी द्वारा वाद पत्र महज प्रतिवादी को नाजायज तंग व परेशान की गरज से एंव प्रतिवादी के हित व अधिकारो पर कुठाराघात पहुचाने के इरादे से तथा मुकदमे की आड मे प्रतिवादी को अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित रखने की नियत से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया है। वादी द्वारा अपने वादी पत्र मे खसरा नं0 30/1.06 बाके ग्राम ढण्डाका तहसील नगर का वर्णन किया है और वाद पत्र की मद संख्या 03 मे यह स्पष्ट लिखा है कि वादी एंव तरतीवी प्रतिवादीगण तथा असल प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त विवादित आराजी मे 1/4–1/4 हिस्सा है इसके साथ वादी का यह कथन है कि वादी द्वारा उक्त मुकदमे से पूर्व न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा उनवानी देवेन्द्र कुमार बनाम गोपाल प्रसाद बगै0 जिसमे न्यायालय के आदेश दिनांक 06.07.2023 को मुताविक कुर्रे रिपोर्ट डिक्री किया गया था। जिससे वादी एंव प्रतिवादी सभी के हिस्से अनुसार खसरा नंबर अलग–अलग कायम हो चुके है। वादी का अपने वाद पत्र मे यह कहना कि राजस्व रिकॉर्ड मे तरमीम होना तथा मौके पर हिस्से अनुसार पैमाइश होना शेष है, कतई गलत है जो रिकॉर्ड से प्रमाणित है तथा पैमाईश हेतु वादी के पास एक अधिकार सुरक्षित था कि वह प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार नगर के समक्ष पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर सकता था इस स्थिति मे तो वादी को वाद पत्र पेश करने का अधिकार नही था इसलिये दावा वादी विधिक प्रकिया के विपरीत है। दावा वादी समस्त तथ्यात्मक एंव कानूनी बिन्दुओं की रोशनी में मेंटेनेविल ना होकर पोषणीय योग्य नही है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर वादी से प्रतिवादी को बतौर हर्जा खर्चा 25000 रूपया दिलाया जावे।

तरतीवी प्रतिवादी संख्या 03 स्वयं उपस्थित तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से वकील श्री मंगलराम उपस्थित हुये। परन्तु इन्होने जवाब दावा पेश नही किया।

वकील वादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के मूल वाद का मुख्य अनुतोष वादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य सीमाज्ञान से संबंधित है उक्त प्रकरण से पूर्व वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मूल आराजी खसरा नं0 30/1.06 बाके ग्राम ढण्डाका का बहिस्सा बराबर विभाजन हुआ है तथा वादी के हिस्से मे खसरा नं0 30/2/0.2650 रकबा एंव प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से मे 30/1/0.2650 रकबा आया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ने बिना सीमाज्ञान के निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया जिस कारण विवाद पैदा हुआ। अत प्रार्थी/वादी के आराजी खसरा नं0 30/2/0.2650 एंव प्रतिवादी संख्या 01 खसरा नं0 30/1/0.2650 बाके ग्राम ढण्डाका का तहसीलदार नगर से सीमाज्ञान कर चिन्हित करने के निर्देश देते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने भी उभय पक्ष की उपस्थिति मे सीमाज्ञान कराने मे सहमती जाहिर की और उभय पक्ष के अधिवक्ताओ ने इस हेतु आदेशिका पर भी हस्ताक्षकर किये।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे मूल खसरा नं0 30/1.06 बाके ग्राम ढण्डाका का विभाजन होकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल चुका है, परन्तु मौके पर सीमाज्ञान नही हुआ। जिसकी बावत अधिवक्ता उभय पक्ष ने सहमती जाहिर की है कि सभी काश्तकारान की उपस्थिति

उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार नगर द्वारा विवादित आराजी का सीमाज्ञान करा दिया जावे। अत दावा वादी, वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

:आदेश:

अतः दावा वादी, वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 30/1/0.2650, 30/2/0.2650 के सम्बंध मे जिन काश्तकारो द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया जावे उनका उभय पक्ष की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करा कर उनको अवगत करावे तथा उभय पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि एक–दुसरे के हिस्से की आराजीयात मे मदाख्लत मजाहमत नही करें।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

01/04/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 51/2023 **तारीख दायरा:–17.08.2023**

देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र जाति वैश्य निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

–––––वादी

बनाम

1. मुकेश चंद पुत्र मनोहरी जाति खाती निवासी पैंडका रोड कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।
2. श्रीमान तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।

––––––असल प्रतिवादीगण

3. गोपाल प्रसाद पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र
4. विष्णु कुमार पुत्र राजेन्द्र
   जातियान वैश्य निवासीयान कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

––––––फौरमल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री ललित अवस्थी अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री दिनेश चंद गुप्ता अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी, वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नगर को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 30/1/0.2650, 30/2/0.2650 के सम्बंध मे जिन काश्तकारो द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया जावे उनका उभय पक्ष की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करा कर उनको अवगत करावे तथा उभय पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि एक–दुसरे के हिस्से की आराजीयात मे मदाख्लत मजाहमत नही करें।

डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.04.2025 को जारी की गई।

01/04/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0